

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 27/2015-2020

दिनांक: 17 अगस्त, 2022

विषय: आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-2 के अध्याय 10 के क्रम सं. 55 और 57 की नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा चावल (बासमती और गैर-बासमती) के निर्यात हेतु आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-2 की क्रम सं. 55 और 57 पर नीतिगत शर्त को संशोधित करने वाली दिनांक 23.03.2022 की अधिसूचना सं. 61/2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. अध्याय 10 में क्रम सं. 55 और 57 की मौजूदा प्रविष्टियों में निम्नलिखित नीतिगत शर्त को संशोधित किया जाएगा/जोड़ा जाएगा:

क्र. सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	वर्तमान नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
55	1006 2000 100630 1006 3010 1006 3090 1006 4000	गैर-बासमती चावल	मुक्त	<ul style="list-style-type: none"> <li>यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/ निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निर्यात प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है।</li> <li>निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जुलाई, 2022 से अनिवार्य होगा।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/ निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निर्यात प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है।</li> <li>निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2023 से अनिवार्य होगा।</li> </ul>
57	1006 3020	बासमती चावल (डीहस्कड ब्राउन), सेमीमिल्ड, मिल्ड दोनों पारब्वायल्ड अथवा राँ कन्डिशन में	मुक्त	<ul style="list-style-type: none"> <li>यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/ निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निर्यात</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/ निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निर्यात</li> </ul>

सं. सं. 27/2022

				<p>प्रमाणपत्र जारी करने के अधीन अनुमत है।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जुलाई, 2022 से अनिवार्य होगा।</li></ul>	<p>प्रमाणपत्र जारी करने के अधीन अनुमत है।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2023 से अनिवार्य होगा।</li></ul>
--	--	--	--	--	--

3. अधिसूचना का प्रभाव:

मौजूदा अधिसूचना सं. 16/2015-20 दिनांक 23.03.2022 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि केवल यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अन्य यूरोपीय देशों नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकस्टेंस्टीन, नार्वे और स्विटजरलैंड को चावल (बासमती और गैर-बासमती) का निर्यात करने के लिए ईआईए/ईआईसी से निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। 1 जनवरी, 2023 से शेष यूरोपीय देशों (यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकस्टेंस्टीन, नार्वे और स्विटजरलैंड को छोड़कर) को निर्यात करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण से निरीक्षण प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा।

संतोष कुमार सारंगी

17.8.2022

(संतोष कुमार सारंगी)

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल : [dgft@nic.in](mailto:dgft@nic.in)

(फा.सं. 01/91/171/35/एएम-20/ईसी/ई-18655 से जारी)